

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 438]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 27 सितम्बर 2011—आश्विन 5, शक 1933

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2011

क्र. एफ-ए-3-14-2010-1-पांच (69).—मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 के नियम 8 के उपनियम (4-ख) तथा नियम 23-क के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह उपबंध करती है कि ऐसी कालावधियों के संबंध में, जो 1 जुलाई, 2011 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होती हैं:—

(एक) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा, जिसकी वार्षिक कुल राशि पांच करोड़ रुपये से अधिक है, कोई विवरणी प्ररूप 10 में, इलेक्ट्रॉनिक रीति में, डिजिटल हस्ताक्षर के बिना, विभाग की अधिकृत वेब पोर्टल के माध्यम से वेब पोर्टल में दिए गए अनुदेशों के अनुसार प्रस्तुत की जाएगी;

(दो) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा, जिसकी वार्षिक कुल राशि पांच करोड़ रुपये तक है, कोई विवरणी यथास्थिति प्ररूप 5 या प्ररूप 10 में, इलेक्ट्रॉनिक रीति में, डिजिटल हस्ताक्षर के बिना, विभाग की अधिकृत वेब पोर्टल के माध्यम से वेब पोर्टल में दिए गए अनुदेशों के अनुसार प्रस्तुत की जा सकेगी;

2. इलेक्ट्रॉनिक रूप में विवरणी प्रस्तुत करने के पश्चात्, रजिस्ट्रीकृत व्यापारी, यथास्थिति, प्ररूप 5-ख या प्ररूप 10-क में विवरणी का सत्यापन प्रस्तुत करेगा.

3. उक्त नियमों के नियम 8 या 21 के उपबंध, यथास्थिति, यथावश्यक परिवर्तन सहित ऐसी विवरणी को लागू होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2011

क्र. एफ-ए-3-14-2010-1-पांच, (69).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-14-2010-1-पांच, (69) दिनांक 27 सितम्बर 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 27th September 2011

F-A-3-14-2010-1-V-(69).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (4-B) of rule 8 and sub-rule (2) of rule 23-A of the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006, the State Government, hereby, provides that a return pertaining to the periods, which start on or after 1st July, 2011:—

- (i) Shall be furnished by a registered dealer, whose annual turnover, is more than rupees five crores, electronically in Form 10, without digital signature, through the official web portal of the department in accordance with the instructions given in the web portal;
- (ii) may be furnished by a registered dealer, whose annual turnover is upto rupees five crores, electronically in Form 5 or Form 10, as the case may be, without digital signature, through the official web portal of the department in accordance with the instructions given in the web portal;

2. After furnishing the return electronically, the registered dealer shall submit verification of the return in Form 5-B or Form 10-A, as the case may be.

3. The provisions of rule 8 or 21 of the said rules, as the case may be, shall mutatis mutandis apply to such return.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2011

क्र. एफ-ए-3-14-2010-1-पांच (70).—मध्यप्रदेश विक्रय कर (केन्द्रीय) नियम, 1957 के नियम 7-क के उपनियम (1) के साथ पठित मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 के नियम 23-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह उपबंध करती है कि ऐसी कालावधियों के संबंध में, जो 1 जुलाई, 2011 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होती हैं:—

- (एक) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा, जिसकी वार्षिक कुल राशि पांच करोड़ रुपये से अधिक है, कोई विवरणी प्ररूप 5 में, इलेक्ट्रॉनिक रीति में, डिजिटल हस्ताक्षर के बिना, विभाग की अधिकृत वेब पोर्टल के माध्यम से वेब पोर्टल में दिए गए अनुदेशों के अनुसार प्रस्तुत की जाएगी;
- (दो) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा, जिसकी वार्षिक कुल राशि पांच करोड़ रुपये तक है, कोई विवरणी प्ररूप 5 में, इलेक्ट्रॉनिक रीति में, डिजिटल हस्ताक्षर के बिना, विभाग की अधिकृत वेब पोर्टल के माध्यम से वेब पोर्टल में दिए गए अनुदेशों के अनुसार प्रस्तुत की जा सकेगी;

2. इलेक्ट्रॉनिक रूप में विवरणी प्रस्तुत करने के पश्चात्, रजिस्ट्रीकृत व्यापारी, प्ररूप 5-ख में विवरणी का सत्यापन प्रस्तुत करेगा.
3. उक्त नियमों के नियम 7-क के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित ऐसी विवरणी को लागू होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2011

क्र. एफ-ए-3-14-2010-1-पांच, (70).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-14-2010-1-पांच, (70) दिनांक 27 सितम्बर, 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 27th September 2011

F-A-3-14-2010-1-V-(70).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 7-A of the Madhya Pradesh Sales Tax (Central) Rules, 1957 read with the rule 23-A of the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006, the State Government, hereby, provides that a return pertaining to the periods, which start on or after 1st July, 2011:—

- (i) shall be furnished by a registered dealer, whose annual turnover is more than rupees five crores, electronically in Form V, without digital signature, through the official web portal of the department in accordance with the instructions given in the web portal;
- (ii) may be furnished by a registered dealer, whose annual turnover is upto rupees five crores, electronically in Form V, without digital signature, through the official web portal of the department in accordance with the instructions given in the web portal;

2. After furnishing the return electronically, the registered dealer shall submit verification of the return in Form V-B.

3. The provisions of rule 7-A of the said rules, shall mutatis mutandis apply to such return.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

R. K. YADAV, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2011

क्र. एफ-ए-3-14-2010-1-पांच (71).—मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियम, 1976 के नियम 8-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह उपबंध करती है कि ऐसी कालावधियों के संबंध में, जो 1 जुलाई, 2011 को या उसके पश्चात प्रारंभ होती हैं:—

- (एक) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा, जिसकी वार्षिक कुल राशि पांच करोड़ रुपये से अधिक है, कोई विवरणी प्ररूप 7 में, इलेक्ट्रॉनिक रीति में, डिजिटल हस्ताक्षर के बिना, विभाग की अधिकृत वेब पोर्टल के माध्यम से वेब पोर्टल में दिए गए अनुदेशों के अनुसार प्रस्तुत की जाएगी;
- (दो) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा, जिसकी वार्षिक कुल राशि पांच करोड़ रुपये तक है, कोई विवरणी प्ररूप 7 में, इलेक्ट्रॉनिक रीति में, डिजिटल हस्ताक्षर के बिना, विभाग की अधिकृत वेब पोर्टल के माध्यम से वेब पोर्टल में दिए गए अनुदेशों के अनुसार प्रस्तुत की जा सकेगी;

2. इलेक्ट्रॉनिक रूप में विवरणी प्रस्तुत करने के पश्चात्, रजिस्ट्रीकृत व्यापारी, प्ररूप 7-ड में विवरणी का सत्यापन प्रस्तुत करेगा.
3. उक्त नियमों के नियम 8 के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित ऐसी विवरणी को लागू होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2011

क्र. एफ ए 3-14-2010-1-पांच, (71).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-14-2010-1-पांच, (71) दिनांक 27 सितम्बर, 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 27th September 2011

F-A-3-14-2010-1-V-(71).—In exercise of the powers conferred by rule 8-A of the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Niyam, 1976, the State Government, hereby, provides that a return pertaining to the periods, which start on or after 1st July, 2011:—

- (i) shall be furnished by a registered dealer, whose annual turnover is more than rupees five crores, electronically in Form VII, without digital signature, through the official web portal of the department in accordance with the instructions given in the web portal;
- (ii) may be furnished by a registered dealer, whose annual turnover is upto rupees five crores, electronically in Form VII, without digital signature, through the official web portal of the department in accordance with the instructions given in the web portal;

2. After furnishing the return electronically, the registered dealer shall submit verification of the return in Form VII-E.

3. The provisions of rule 8 of the said rules, shall mutatis mutandis apply to such return.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.